अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को देने से सम्बन्धित हैं। ये परिवर्तन वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने, अधिक व्यक्तियों को ठेके देने, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अधिक अवसर प्रदान करने आदि के उद्देश्य से किये गये हैं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कुकिंग गैस की एजेन्सियां देना

215. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री विभिन्न राज्यों में गैस एजेन्सियों के बारे में 18 जुलाई, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 323 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये कुकिंग गैस की 25 प्रतिशत एजेन्सियां देने का कोटा विभिन्न राज्यों में किस सीमा तक पूरा किया गया है और यदि नहीं, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ;

(ख) क्या सरकार का विचार एक एजेन्सी के पास गैस सिलेण्डरों के कनैक्शनों की संख्या को 5000 से कम करके 2500 करके अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये जनता पार्टी के निर्वाचकों को दिये गये आश्वासन को पूरा करने का है और यदि हां, तो तेजी से नीति बनाने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार 10000 से अधिक जनसंख्या वाली तहसीलों एवं अन्य नगरों में भी एजेन्सियां खोलने का है जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति गैस के चूल्हों का उपयोग कर कर सकें ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जैसा कि दिनांक 15-5-78 को लोक सभा में दिये गये विवरण में बताया गया है कि तेल कंपनियां देश के विभिन्न भागों में 3 लाख नये उपभोक्ताओं का नाम पंजीकृत करने के लिए अतिरिक्त कुकिंग गैस की निर्धारित सीमा और विपणन के आधार पर वर्तमान वितरण एजेंसियों के पुनर्गठन को ध्यान में रखकर 87 नयी गैस एजेंसियां खोलेंगी। इन 87 नयी एजेंसियों में से 24 एजेंसियां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों से सम्बन्धित सदस्यों के लिए सुरक्षित की गई हैं। जहां तक अनुसूचित जाति/अनु-जनजाति के लिए 24 एजेंसियों को सुरक्षित करने की बात का सम्बन्ध है, एक वितरक की नियुक्ति पहले से ही कर दी गई है। बाद की एजेंसियों की नियुक्ति आवश्यक औपचारिकतायें पूरी करने के बाद की जायेंगी।

(ख) जैसा कि दिनांक 15-5-1978 को इस सदन में दिये विवरण में बताया गया है कि कार्य स्थितियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्रचालन की लागत को ध्यान में रखकर एक तरल पेट्रोलियम गैस वितरक (कोआपरेटिव सोसाइटियों को छोड़कर) के प्रतिमास कितने सिलन्डरों (रिफिल) देने की अनुमति होगी, की सीमा नीचे लिखे अनुसार निश्चित कर दी गई है :—

बाजार	प्रतिमास रिफिल की संख्या
बम्बई	6,000
दिल्ली	4,000
10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अन्य शहर	3,500
2 और 10 लाख के बीच की जनसंख्या वाले शहर	3,000
अन्य स्थान	2,500

(ग) वर्ष 1980 से देश में तरल पेट्रोलियम गैस की उपलब्धता में प्रत्याशित बड़े पैमाने पर वृद्धि होने से निम्नलिखित आधार पर यथा समय मैं छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका विपणन करना संभव हो सकेगा।

(1) प्रत्याशित उपभोक्ता क्षमताएं
(2) सप्लाई के साधनों से बाजार की निकटता
(3) सुरक्षित सुलभ परिवहन साधन की उपलब्धता
(4) वितरण उपस्कर का अधिकतम उपयोग ; और
(5) प्रचालन में व्यवहार्यता

राष्ट्रपति पुरस्कार जीतने वाले रेल कर्मचारियों की पदोन्नतियां

216. **श्री श्याम सुन्दर लाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों को विशिष्ट सेवाओं के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति पुरस्कार से अलंकृत किया जाता है, ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे प्रशासन द्वारा ऐसे विशिष्ट कुशल और अकुशल कर्मचारियों को कोई विशेष सुविधाएं दी जाती हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मरणोपरान्त पुरस्कार विजेताओं के आश्रितों को केवल 500 रुपये का पुरस्कार अन्य कर्मचारियों को लग्न से सेवा करने के लिए प्रेरणा देने हेतु पर्याप्त है ;

(क) क्या प्रशासन ने पश्चिम रेलवे के एक कर्मचारी को, जिसे वर्ष 1963 और 1978 में राष्ट्रपति पुरस्कार से दो बार सम्मानित किया गया था पदोन्नत नहीं किया ;

(च) क्या खेलों में अद्वितीय कुशलता प्रदर्शित करने वाले कर्मचारियों को विशेष पदोन्नति दी जाती है परन्तु अद्वितीय कुशलता प्रदर्शित करने वाले कर्मचारियों को इस प्रकार की पदोन्नतियां नहीं दी जाती हैं ; और

(छ) इस सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन द्वारा किन सिद्धांतों का पालन किया जाता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेलों पर, रेलवे सुरक्षा दल और रेलवे सुरक्षा विशेष दल के कर्मचारियों के मामले को छोड़कर जिन्हें उत्कृष्ट और सराहनीय सेवा के लिए क्रमशः राष्ट्रपति पदक और पुलिस पदक प्रदान किये जा रहे है, अन्य रेल कर्मचारियों को उनकी सराहनीय सेवा की मान्यता देने के लिए, राष्ट्रपति की ओर से पुरस्कृत करने के कोई संस्थात्मक प्रबन्ध नहीं हैं ।

(ख) और (ग). भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता सिवाय इसके कि प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित रेलवे सुरक्षा दल और रेलवे सुरक्षा विशेष दल के पुरस्कार पाने वाले ऐसे कर्मचारियों को उच्चतर ग्रेडों के लिए उनका प्रवरण करते समय इस बात का श्रेय दिया जाता है ।

(घ) रेलवे सुरक्षा दल/रेलवे सुरक्षा विशेष दल के कर्मचारियों को मरणोपरान्त पुरस्कार प्रदान करने का अभी तक कोई मामला नहीं उठा है ।

(ङ) रेल मंत्रालय को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि पश्चिम रेलवे के किसी कर्मचारी को एक बार 1963 में और तदोपरान्त, 1978 में, इस तरह दो बार, राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया है ।

(च) और (छ). ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को बिना बारी पदोन्नति प्रदान की जाती है जो :—

1—ऐसे खेलों में, जिनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय समायोजन होते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गये हों ।

2—अन्य खेलों में, राष्ट्रीय समायोजनों में तीन अवसरों पर रेलों का प्रतिनिधित्व कर चुके हों और सम्मान प्राप्त किया हो ।

3—वेतनमान के शिखर स्थिति तक पहले ही पहुंच चुके हों ।

4—अपने सेवाकाल के दौरान किसी भी खिलाड़ी को साधारणतया एक बार से अधिक बिना बारी पदोन्नति नहीं दी जानी चाहिए ।

Changes proposed in the Hathi Committee Report

217. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) how many changes Government proposed in Hathi Committee Report on the 29th March, 1978;

(b) how many changes Government proposes to introduce on the statement laid on the Table of the House on the 29th March, 1978;

(c) in how many cases because of this decision statutory Acts like IDR Act, Import and Export Act, Essential Commodities Act and F.E.R.A. are violated; and details thereof; and

(d) whether Government proposes to introduce the decisions on Hathi Committee even if the Statutory Act is violated or would like to examine details of the same?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) A Statement, indicating the recommendations of the Hathi Committee not accepted or accepted with modifications by Government has already been tabled in the Lok Sabha, in reply to Unstarred Question No. 8063, on 25th April, 1978.

(b) If, in the light of experience gained in implementing the decisions and view expressed in various forums of discussions it becomes necessary to elaborate or improve upon some of the decisions, appropriate modifications would be considered by Government.

(c) and (d). The policy will be implemented within the provisions of the relevant statutes with amendments being made wherever necessary.